न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 04/20 निर्णय दिनांकः–10-2-2020
(आरसीएमएस संख्या 2020/00005)

1. ऐवन्त डागा पुत्र मूलचन्द डागा
2. मूलचन्द डागा पुत्र स्व. सुन्दरलाल डागा
जाति डागा निवासीगण बागड़ी मौहल्ला, बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. दिनेश सिंह पुत्र देवकरण सिंह जाति यादव निवासी मकान संख्या ए–35 करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20–12–2019
सहायक कलेक्टर (शहर), बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री हरीश मदान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर (शहर), बीकानेर के आदेश दिनांक 20–12–2019 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट संख्या 1 के दादा व अपीलांट संख्या 2 के पिता स्व. सुन्दरलाल डागा के नाम से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19–05–1979 को खनिज नियम 1960 के तहत मौजारोही नाल में 64 हेक्टर भूमि 20 वर्षो की अवधि के लिये खनिज लीज जारी की गई। तत्पश्चात् 28–02–1999 को पुनः 20 वर्ष के लिये उक्त लीज का नवीनीकरण किय गया। उक्त तिथि के पश्चात् दिनांक 16–02–2015 के आदेश के द्वारा उक्त लीज दिनांक 27–09–2029 तक के लिये बढ़ा दी गई। उक्त कार्यवाही के दौरान सुन्दरलाल जी का दिनांक 27–12–2018 को देहावसान होने पर उक्त भूमि से समस्त अधिकार अपीलांट संख्या 1 को जरिये वसीयत प्राप्त हो चुके है। पटवारी

हल्का की रिपोर्ट के अनुसार नाल छोटी के पुराना खसरा नम्बर 14 जिसके नये खसरा नम्बर 994/103, 104, 105, 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234 व 235 कुल किता 21 खसरा नम्बरान् में 64 हेक्टर स्थिति होने की रिपोर्ट अंकित की गई। उपरोक्त समस्त भूमि अपीलांट की खनन लीजशुदा भूमि है। जिस पर राज्य सरकार की अनुमति से खनन का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 104 तादादी 1.45 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 225 तादादी 4.25 हेक्टर भूमि के संबंध में अदालत मातहत के समक्ष दावा एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को गैर कानूनी रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात् के आधार पर रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। जबकि इस संबंध में उनके द्वारा मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। नाही रेस्पोडेन्ट स्वयं द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रकरण में लीज भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ना ही राजस्व न्यायालय को विधिक रूप से लीज धारक के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकार हासिल है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के कथन/शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रजिस्टर्ड लीज धारक है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1963 आरआरडी पेज 257 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट एवं उसके परिवार के नाम की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 104 तादी 1.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 225 तादादी 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 1063/217 तादादी 0.62 हेक्टर कुल तादादी 6.32 हेक्टर भूमि वाके ग्राम

नाल छोटी में स्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्ट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट की भूमि भी उक्त भूमि के नजदीक स्थित होने से उनके द्वारा बाल क्ले, फायरक्ले व यलो क्ले आदि का अवैध खनन किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि के अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट की भूमि पर भी जबरन प्रवेश करते हुए अवैध खनन किया जा रहा है। जिस पर एतराज करने पर उनके द्वारा समय–समय पर खनन बन्द कर दिया जाता है, परन्तु मौका मिलते ही रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश कर पुनः अवैध खनन कार्य चालु कर दिया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बार–बार कथन करने के उपरान्त भी उनके द्वारा अवैध खनन का कार्य नहीं रोकने पर अपीलांट के विरूद्व नाल पुलिस थाना में एक एफआईआर दिनांक 02–01–2019 को दर्ज करवाई गई। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट को उनकी खातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश नहीं करने का ऐसा कोई कृत्य नहीं करने जिससे उसके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष तमाम राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह पाये जाने पर अप्रार्थी/अपीलांट जिस भूमि को उसकी लीजधारक भूमि बता रहे है, के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किये जाने व प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद के अंतिम निपटारे तक रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील रिकार्ड व मौके की स्थिति के अनुसार विधिवत रूप से पारित किया गया है।

उन्होंनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खनन हेतु सिविल न्यायालय में खनन विभाग व राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए चाराजाई करने पर न्यायालय अपन जिला न्यायाधीश संख्या – चार, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07–09–2016 में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रार्थी अन्य काश्तकारों की खातेदारी भूमि पर अपना खनन पट्टे की आड़ में संबंधित काश्तकारों की बिना सहमति लिये खनन कार्य करता है तो यह विधि विरूद्व है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् सिविल न्यायालय द्वारा यह किया जा चुका है कि अपीलांट अन्य काश्तकारों की सहमति के बिना उनकी खातेदारी भूमि पर खनन कार्य करने को अवैध धोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 730, आरआरडी 1988 पेज 641 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 1.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 225 तादादी 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 1063/217 तादादी 0.62 हेक्टर कुल तादादी 6.32 हेक्टर भूमि वाके ग्राम नाल छोटी के बाबत् वाद के निर्णय तक अपीलांट/अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है कि वे किस प्रकार की दखलंदाजी ना करे, ना करावें ना ही ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट संख्या 1 के दादा व अपीलांट संख्या 2 के पिता स्व. सुन्दरलाल डागा के नाम से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19–05–1979 को खनिज नियम 1960 के तहत मौजा रोही नाल में 64 हेक्टर भूमि 20 वर्षो की अवधि के लिये खनिज लीज जारी की गई। तत्पश्चात् 28–02–1999 को पुनः 20 वर्ष के लिये उक्त लीज का नवीनीकरण किय गया। उक्त तिथि के पश्चात् दिनांक 16–02–2015 के आदेश के द्वारा उक्त लीज दिनांक 27–09–2029 तक के लिये बढ़ा दी गई। इस प्रकार उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। अपीलांट अपने कब्जेशुदा भूमि पर खनिज विभाग की सहमति से खनन कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि नाल छोटी के पुराना खसरा नम्बर 14 जिसके नये खसरा नम्बर 994/103, 104, 105, 205, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234 व 235 कुल किता 21 खसरा नम्बरान् में 64 हेक्टर पैमूद हुए है। जोकि उनके कब्जे काश्त में है। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा सूची नम्बर 4, जमाबन्दी आदि प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि

वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा हो। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2075–2078 प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 1.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 225 तादादी 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 1063/217 तादादी 0.62 हेक्टर कुल तादादी 6.32 उनकी खातेदारी भूमि रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित नहीं किये जा सकते।

(4) प्रकरण में यदि अपीलांट के कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे कि उनके द्वारा खनिज विभाग की पूर्व अनुमति से खनन कार्य किया जा रहा है। तब भी वे यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि उनके द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–चार, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2013 उनवान सुन्दरलाल डागा बनाम सरकार व खनिज अभियन्ता, बीकानेर में पारित निर्णय दिनांक 07–09–2016 का भी अवलोकन किया। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 9 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि ''यदि प्रार्थी अन्य काश्तकारों की खातेदारी भूमि पर अपना खनन पट्टे की आड़ में संबंधित काश्तकारों की बिना सहमति लिये खनन कार्य करता है तो यह विधि विरूद्व है।''

लिहाजा अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी जोकि वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, के अधिकारों की सुरक्षा हेतु आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट/अप्रार्थी को दखलंदाजी ना करने, ना कराने, ना ही ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, पाबन्द किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर (शहर), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2019 यथावत बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 10/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकारिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 10:55:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: